

कार्यालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, पलामू (कल्याण शाखा)

कपड़ा का सामग्री एवं स्वरूप निम्नरूपेण निर्धारित किया गया है:-

Sl No	Item Of Uniform	Calss	Shade, Material, Colour and Quantity	
			Boys	Girls
1	2	3	4	5
1	School Uniform for Classes	I-V	One half sleeves Sky Blue Shirt and Navy Blue Full Pant and One Full Sleeves Sky Blue Shirt and Navy Blue Full Pant	One half sleeves Sky Blue Shirt and Navy Blue Tunic and one full sleeves sky Blue Shirt and Navy Blue Tunic With Navy Blue Leggings
		VI-XII	One half sleeves and One full sleeves Sky Blue Shirt and Pair Navy Blue Full Pant	Navy Blue Kurta & Sky Blue Salwar with Sky Blue Dupatta
2	Blazer & Sweater (for winter)	I-XII	Navy Blue Blazer and Navy Blue Half Sleeves pullover with Sky blue stripes in neck, sleeves and waist with V shaped neck (1No. each)	Navy Blue Blazzer and Navy Blue Half Sleeves Pullover with navy blue stripes in neck, sleeves and waist with V shaped neck (1 No. each)
3	Shoes and socks	1-XII	One Pair Black Shoes (Leather) and Navy Blue Socks	One Pair Black Shoes (Leather) and Navy Blue Socks
4	School Bag	1-XII	Size: As per classwise requirement with minimum 03 compartments.	Size: As per classwise requirement with minimum 03 compartments.
5	Sports Uniform	1-XII	Navy Blue Polyster Trackpant (Full) and polyster V-Neck t-shirt with collar (half Sleevees)	Navy Blue Polyster Trackpant (Full) and polyster V-Neck t-shirt with collar (half Sleevees)
6	Night Uniform	1-XII	Pyjam & T-shirt	Pyjam & T-shirt
7	Under Garments	I-XII	Two pair undergarment	Two pair undergarment
8	Belt	I-V	Navy blue belt (School name and Welfare Department, G.O.J should be written over buckle)	Navy blue belt (School name and Welfare Department, G.O.J should be written over buckle)
		VI-XII	Navy blue belt (School name and Welfare Department, G.O.J. should be written over buckle)	Navy blue belt (school name and Welfare Department, G.O.J. should be written over badge)
9	Slipper	I-XII	One pair	One Pair

(A) तकनिकी बीड की शर्त :-

- निविदादाताओं की निविदा के साथ अग्रधन की राशि के रूप में जिला कल्याण पदाधिकारी पलामू के पदनाम से 50,000.00 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा। अन्य किसी तरीके से अग्रधन की राशि स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- निविदादाता को वित्तीय वर्ष 2017-18 का Certified Audit Report देना अनिवार्य है, जिसमें वार्षिक Turnover 1500000 (पन्द्रह लाख) रुपये होना चाहिए।
- निविदादाताओं को निविदा के साथ पोशाक विक्री जूता, मोजा, स्कूल बैग का निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- निविदादाता को उपायुक्त स्तर पर आचरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
- निविदा के साथ निविदादाताओं के PAN No तथा विगत तीन वर्ष का आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।
- निविदादाताओं को GST में निबंधन का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा तथा जूलाई 2017 से अद्यतन GST का Return संलग्न करना होगा।

7. निविदादाताओं को सरकारी आवासीय विधालयों में वस्त्र एवं अन्य सामग्री आपूर्ति करने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
8. निविदा के साथ काली सूची एवं दागी में नाम दर्ज नहीं रहने का मूल शपथ पत्र देना होगा।

(B) वित्तीय बीड:-

1. निविदादाताओं को पोशाक सेट का दर सभी कर सहित अंकित (कम्प्यूटर प्रिन्टेड) करना होगा। किसी भी स्थिति में दो दर अंकित वाले निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

(C) निविदा की अन्य शर्त:-

1. क्रय समिति के समक्ष सर्वप्रथम तकनीकी बीड खोला जायेगा। तकनीकी बीड में सफल होने के पश्चात् ही वित्तीय बीड खोला जायगा। बीड में एक ही दर कम्प्यूटर से प्रिन्टेड ही मान्य होगा।
2. सभी सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित विधालयों/कार्यालयों/छात्रावास में पहुँचाकर करना होगा जिसके लिए अलग से किसी भी प्रकार का हथालन एवं परिवहन व्यय दे नहीं होगा।
3. सामग्रियों का स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगा।
4. दर निर्धारण के समय क्रय समिति के समक्ष पोशाक सामग्रियों का नमूना लाना अनिवार्य होगा। अच्छी गुणवत्ता वाले पोशाक क्रय किया जायेगा। नमूना प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
5. निविदादाता को आपूर्ति आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर पोशाक सामग्रियों की आपूर्ति नमूने के अनुरूप करना होगा अन्यथा अग्रधन की राशि जब्त कर काली सूची में नाम दर्ज करने की कार्यवाही की जायेगी
6. निविदा के आधार पर स्वीकृत दर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ही मान्य होगा। आवंटन उपलब्ध होने पर ही राशि का भुगतान किया जायेगा।
7. किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने या किसी भी सिंगल आइटम को स्वीकृत/अस्वीकृत करने तथा बिना कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
8. चयनित आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 24 घंटे के अन्दर 100 रु० का जुडिसियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना होगा।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
पलामू।

उप विकास आयुक्त,
पलामू